

ले रह गया है, उस खाते को अस्थाई निषेधाज्ञा
 में जोड़ जावे। व्यायक्ति में प्रार्थना पत्र स्वीकार
 किया जाता है क्योंकि उक्त खाता सखन से
 रोकित होने से रहा है तथा उक्त चुरी कार्डिल
 दुरन्ती है। अतः प्रार्थना पत्र मुताबिक दिनांक
 31-7-24 को जारी निषेधाज्ञा चक 17 MKS
 के खाता सं. 73/61 पर भी प्रभावी रहेगी।
 अतः अप्रार्थीगण चक 17 MKS के खाता सं.
 73/61 जम्बखंडी सं. 2070-2073 में दर्ज
 वादग्र भूमि को भी अल्पत्र कहीं रहत वैंय,
 व अंतरण करने से ममनू व बाज रहे
 तथा मौका एवं रिकार्ड की घथा स्थिति बनार
 रखे। पत्रावली दिनांक 31-8-24 को पेश है।

2.9.24 प्रापत्र मूल वाद के सैलमन पेश हुमा।
 चूंकि मूल वाद खारिज हो चुका है अर्थात्
 प्रार्थी प्रार्थना पत्र को Not pass में
 खारिज कखाना चाहते हैं अतः प्रार्थना
 पत्र सं. 212 RTA अतवान युदान
 वनाम श्रीपु कुमा खारिज किया जाता
 है पत्रावली फैंजला शुमा नं. से कम
 होकर मूल वाद के सैलमन कार्डिल
 हमा है।

Not pass
 Jambhary